

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश

टी.सी.जी./1-ए-वी/5, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

पत्रांक: 17 /न.नि.(2)/तकनीकी विविध/2020-21 दिनांक: 5 मई, 2020
सेवा में,

विशेष सचिव,
औद्योगिक विकास अनुभाग-6,
उ.प्र.शासन, लखनऊ।

विषय: उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग तथा लाजिस्टिक्स नीति, 2018 के लम्बित बिन्दुओं पर अभिमत के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक औद्योगिक विकास अनुभाग-6, उ.प्र. शासन के पत्र सं. 997/77-6-20-एल.सी.04/2018 टी.सी., दिनांक 04 मई, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस संदर्भ में प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ.प्र. शासन से हुई वार्ता के क्रम में विभागीय अभिमत निम्नवत है:-

बिन्दु सं.-2 : वेयरहाउसिंग एवं लाजिस्टिक्स इकाईयों को उद्योग का दर्जा प्रदान किया जाना


इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि औद्योगिक विकास अनुभाग-6 की अधिसूचना संख्या-649/77-6-18-एल.सी. 04/18, दिनांक 27 फरवरी, 2018 द्वारा उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग तथा लाजिस्टिक्स नीति, 2018 स्थापित की गयी है। इस नीति के प्रस्तर-4.2 में उल्लिखित है कि भारत सरकार द्वारा "इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टेड्स" हेतु निर्दिष्ट शर्तों को पूर्ण करने वाले वेयरहाउसिंग तथा लाजिस्टिक्स इकाईयों को प्रदेश में "उद्योग" का दर्जा भी प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग तथा लाजिस्टिक्स नीति, 2018 के क्रियान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त/नियमावली विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या-2791/77-6-2018-एल.सी.-04/18, दिनांक 06 जुलाई, 2018 के प्रस्तर-3.1 में भी यह उल्लेख है कि भारत सरकार द्वारा "इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टेड्स" हेतु निर्दिष्ट शर्तों को पूर्ण करने वाले वेयरहाउसिंग तथा लाजिस्टिक्स इकाईयों को प्रदेश में "उद्योग" का दर्जा भी प्रदान किया जाएगा एवं इसको औद्योगिक क्रिया (एक्टिविटी) मानी जाएगी (सुसंगत अंशों की छायाप्रतियाँ संलग्न)।

उक्त के क्रम में भारत सरकार द्वारा "इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टेड्स" हेतु निर्दिष्ट शर्तों को पूर्ण करने वाले वेयरहाउसिंग तथा लाजिस्टिक्स इकाईयों को प्रदेश में "उद्योग" का दर्जा प्रदान करने एवं इसको औद्योगिक क्रिया (एक्टिविटी) माने जाने विषयक आदेश जारी किये जाने हेतु औद्योगिक विकास विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जानी है। उक्त

आदेश जारी होने के उपरान्त आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ अभिकरणों के लिए तदानुसार आदेश जारी किये जाने हेतु कार्यवाही की जा सकेगी।

भवदीय,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।


(अनूप कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक

पत्रांक एवं दिनांक: तदैव।

प्रतिलिपि: प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन को संलग्नकों सहित कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

/

(अनूप कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक

उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-6
संख्या: 649 /77-6-18-एल.सी. 4/18
लखनऊ : दिनांक 27 फरवरी, 2018

अधिसूचना

भारत का संविधान के अनुच्छेद 162 के अन्तर्गत कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल 'उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स नीति-2018' प्रख्यापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आलोक सिन्हा
अपर मुख्य सचिव

संख्या: 649 (1) /77-6-18-एल.सी. 4/2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) मुख्य सचिव/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र.।
- (3) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (4) समस्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
- (5) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (6) प्रबन्ध निदेशक, पिकप/उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम।
- (7) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12-सी, माल एवेन्यू, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत संशोधन उद्योग बन्धु की वेब-साइट पर आज ही अपलोड कराते हुए 150 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- (8) आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
- (9) निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (10) समस्त अनुभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।
- (11) गार्ड फ़ाइल।

आज्ञा से,
HL
(नरेन्द्र सिंह पटेल)
विशेष सचिव।

- यदि इस नीति में कोई संशोधन किया जाता है, तो भी राज्य सरकार द्वारा इकाई को पूर्व में किसी प्रोत्साहन पैकेज का वचन दिए जाने पर, उसे वापस नहीं लिया जायेगा एवं इकाई को लाभ मिलते रहेंगे।

4. नीति संरचना (फ्रेमवर्क)

- 4.1 लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को अवस्थापना के रूप में मान्यता-इस क्षेत्र के महत्व के दृष्टिगत भारत सरकार ने पुनःनामित 'ट्रांसपोर्ट एवं लॉजिस्टिक्स' श्रेणी के अन्तर्गत "लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर" को नए मद के रूप में सम्मिलित किया है। इसके अन्तर्गत मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क, जिसमें इस नीति के अधीन परिभाषित अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपो (आईसीडी), कोल्ड चेन सुविधा तथा वेअरहाउसिंग सुविधा को अवस्थापना के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इससे लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को आसान शर्तों तथा बढ़ी हुई सीमा के अनुसार अवस्थापना ऋण उपलब्ध हो सकेगा, वाह्य वाणिज्यिक ऋण (एक्सटर्नल कॉमर्शियल बौरोइंग- ई.सी.बी.) के रूप में अधिक धनराशि, बीमा कम्पनियों से दीर्घकालिक वित्त पोषण एवं पेंशन निधि प्राप्त हो सकेगी तथा यह क्षेत्र इण्डिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेन्स कम्पनी लि. (आई.आई.एफ.सी.एल.) से ऋण ले सकेगा। उत्तर प्रदेश सरकार इस नीति के माध्यम से लॉजिस्टिक्स उद्योग के प्रोत्साहन हेतु भारत सरकारके विज़न को आगे बढ़ाएगी।
- 4.2 लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को उद्योग के रूप में मान्यता-भारत सरकार द्वारा 'इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टेटस' हेतु निर्दिष्ट शर्तों को पूर्ण करने वाली वेअरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स इकाइयों को प्रदेश में 'उद्योग' का दर्जा भी प्रदान किया जाएगा। यद्यपि वेअरहाउसिंग के लिए भूमि आवंटन हेतु विकास प्राधिकरणों द्वारा पात्रता शर्तें एवं दर निर्धारित की जाएंगी। विकास प्राधिकरणों द्वारा वेअरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स इकाइयों हेतु 60 प्रतिशत तक की ग्राउण्ड कवरेज की अनुमति भी दी जाएगी।
- 4.3 लॉजिस्टिक्स के विकास हेतु समर्पित एजेन्सी-राज्य सरकारकी अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अन्तर्गत सचिव स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एक समर्पित लॉजिस्टिक्स प्रभाग(डिवीज़न) की स्थापना की योजना है। यह प्रभाग प्रदेश में लॉजिस्टिक्स अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु विभिन्न संबंधित विभागों, यथा-नागरिक उड्डयन, परिवहन, ऊर्जा, खाद्य एवं कृषि तथा अन्य सम्बन्धित विभागों के साथ बेहतर समन्वयन सुनिश्चित करेगा।
- 4.4 एक्विज़म(निर्यात-आयात) कार्गो हेतु ग्रीन चैनल का विकास -प्रदेश में एक्विज़म कार्गो का परिवहन करने वाले वाहनों को होने वाले विलम्ब की रोकथाम के लिए (ट्रांज़िट में कम निरीक्षण वाले) ग्रीन चैनल चिन्हित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की समस्त

प्रमुख नगरों में व्यापक ट्रांसपोर्ट जोन्स (ट्रांसपोर्ट नगर) को विकसित करने की योजना है, जिनमें प्रमुख राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों, एक्सप्रेसवेज़, निवेश क्षेत्रों तथा इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर्स के समीप ट्रक टर्मिनल्स को विकसित किया जाना सम्मिलित है। इन व्यापक ट्रांसपोर्ट जोन्स तथा टर्मिनल्स में माल ढोने वाले वाहनों के लिए कार्यशालाएं, भोजनालय, विश्राम-गृह इत्यादि कॉमन सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

4.5 निःशुल्क व्यापार एवं वेअरहाउसिंग परिक्षेत्र (फ्री ट्रेड एण्ड वेअरहाउसिंग ज़ोन -एफटीडब्लूजेड)-राज्य में निर्बाध रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात व निर्यात के सुचारु संचालन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार अन्तर्देशीय कंटेनर डिपोज़, शुष्क बन्दरगाहों (ड्राई पोर्ट्स) तथा विद्यमान एवं विकसित किए जा रहे एक्सप्रेसवेज़, राजमार्गों एवं फ्रेट कॉरिडोर्स के समीपवर्ती क्षेत्रों में एफटीडब्लूजेड्स की स्थापना का प्रयास करेगी। इन परिक्षेत्रों में कस्टमाइज्ड वेअरहाउसिंग, शीतगृह, कार्यालय हेतु स्थान, परिवहन व हैण्डलिंग सुविधाएं, यथा-स्वास्थ्य केन्द्र, भोजनालय आदि के साथ ही निर्यात-आयात हेतु एकल बिन्दु स्वीकृति व्यवस्था उपलब्ध होगी।

4.6 लॉजिस्टिक्स परिक्षेत्र (ज़ोन)-उत्तर भारत को देश के पूर्वी एवं पश्चिमी बन्दरगाहों से जोड़ने वाले दो मुख्य फ्रेट कॉरिडोर्स - वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तथा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन दादरी में होने के कारण, राज्य सरकार इस क्षेत्र को लॉजिस्टिक्स परिक्षेत्र के रूप में विकसित करने को विशेष महत्व देगी। इसी प्रकार भाउपुर व नैनी को भी लॉजिस्टिक्स परिक्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार समय-समय पर इस प्रकार के लॉजिस्टिक्स परिक्षेत्रों को चिन्हित व घोषित करेगी।

इन परिक्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा बाधारहित कनेक्टिविटी, उत्कृष्ट सामाजिक एवं भौतिक अवस्थापना सुविधाएं, 24/7 जलापूर्ति तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। इस नीति में परिभाषित लॉजिस्टिक्स पार्कों को राज्य सरकार वाह्य परिधीय सम्पर्क अवस्थापना सुविधाओं, यथा- सड़क, जल, विद्युत आपूर्ति, उपकेन्द्र, गैस तथा उत्प्रवाह निष्कासन व्यवस्था को उपलब्ध कराने में सहायता करेगी।

4.7 लॉजिस्टिक्स अवस्थापकीय आवश्यकताओं का निर्धारण - उपवर्णित तथा सम्बन्धित सुविधाओं सहित अतिरिक्त लॉजिस्टिक्स परिक्षेत्रों, विशेषतः वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तथा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, विद्यमान एवं प्रस्तावित एक्सप्रेसवे (यथा- आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आदि), राष्ट्रीय जलमार्ग-1(इलाहाबाद-हल्दिया), बुन्देलखण्ड क्षेत्र (राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर झाँसी) तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की आवश्यकताओं के आकलन हेतु राज्य सरकार नियमित रूप से अध्ययन व सर्वेक्षण करवाएगी।

उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-6
संख्या-2791/77-6-2018-एल0सी0-4/18
लखनऊ, दिनांक 06 जून, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

प्रदेश में औद्योगिक विकास का वातावरण तैयार कर प्रदेश को सर्वांगीण विकास हेतु उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स नीति-2018 दिनांक 27.02.2018 को मा0 मंत्रि-परिषद के अनुमोदनोपरान्त शासनादेश संख्या-649/77-6-18-एल0सी0-04/18, दिनांक 27-02-2018 द्वारा निमित की जा चुकी है।

2- अतः "उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स नीति-2018" के कियान्वयन हेतु श्री राज्यपाल निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्त/नियमावली बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति एतद्वारा प्रदान करते हैं-

उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स नीति-2018 के कियान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त/नियमावली

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1.1 यह नियमावली "उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स नीति-2018 के कियान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त/नियमावली" कहलाएगी।

1.2 यह नियमावली दिनांक 27.02.2023 तक अथवा उस अवधि तक प्रभावी रहेगी जब तक कि राज्य सरकार द्वारा इसे संशोधित नहीं किया जाता है।

2. परिभाषाये:

2.1 "नीति" का तात्पर्य इस नियमावली में उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स नीति-2018 से है।

2.2 "लॉजिस्टिक्स पार्क" तथा "लॉजिस्टिक्स इकगईयों" की परिभाषा के सम्बन्ध में "नीति" के प्ररतर 3.2 लागू होंगे।

3. लॉजिस्टिक्स इकाइयों को अनुमत्य सुविधायें

3.1 भारत सरकार द्वारा 'इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टेटस' हेतु निर्दिष्ट शर्तों को पूर्ण करने वाली वेअरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स इकाइयों को प्रदेश में 'उद्योग' का दर्जा प्रदान किया जाएगा एवं इसको औद्योगिक क्रिया (एक्टिविटी) मानी जायेगी।

3.2 वेअरहाउसिंग के लिए भूमि आवंटन हेतु विकास प्राधिकरणों द्वारा पात्रता शर्तें एवं दर निर्धारित की जाएंगी।

3.3 संक्षम प्राधिकारी (कॉम्प्लिटेड अथॉरिटी) द्वारा वेअरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स इकाइयों हेतु 60 प्रतिशत तक की ग्राउण्ड कवरेज की अनुमति दी जाएगी।

4. निजी लॉजिस्टिक्स पार्क हेतु प्रोत्साहन

50 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में विकसित किये जा रहे लॉजिस्टिक्स पार्कों को नीति के प्रस्तर-5 के अन्तर्गत 5.1 से 5.9 तक में वर्णित प्रोत्साहन प्रदान किये जाएंगे। प्रोत्साहन की स्वीकृति प्रस्तर-12 में उल्लिखित प्रक्रियानुसार तथा प्रोत्साहन का वितरण प्रस्तर-13 में उल्लिखित प्रक्रियानुसार किया जायेगा।

5. लॉजिस्टिक्स इकाइयों हेतु प्रोत्साहन

5.1 "नीति" में परिभाषित लॉजिस्टिक्स इकाइयों को "नीति" के प्रस्तर 6.1 से 6.9 में वर्णित प्रोत्साहन "छूट की अधिकतम सीमा" के अन्तर्गत प्रदान किये जाएंगे।

5.2 बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल क्षेत्रों तथा अधिसूचित लॉजिस्टिक्स पार्कों में "नीति" में उल्लिखित पात्र निजी लॉजिस्टिक्स पार्कों एवं लॉजिस्टिक्स इकाइयों को पूंजीगत ब्याज उपादान तथा अवस्थापना ब्याज उपादान पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रदान किया जाएगा।

5.3 निजी लॉजिस्टिक्स पार्कों एवं लॉजिस्टिक्स इकाइयों को पूंजीगत ब्याज उपादान तथा अवस्थापना ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति के रूप में प्रतिवर्ष 5.5 प्रतिशत की सीमा एवं निर्धारित अवधि तक प्रदान की जाएगी, जिसकी सीमा प्रतिवर्ष 2.2 करोड़ एवं 5 वर्ष में कुल 11 करोड़ होगी।

6. दादरी, भाउपुर व नैनी को लॉजिस्टिक्स परिक्षेत्र के रूप में विकसित किया जायेगा। प्रदेश सरकार किसी अन्य क्षेत्र को भी लॉजिस्टिक्स परिक्षेत्र के रूप में अधिसूचित कर सकती है।

7. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अन्तर्गत सचिव स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एक समर्पित लॉजिस्टिक्स प्रकोष्ठ की स्थापना की जायेगी।